समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

3458/I/16R

श्रीमती जनकरानी पति स्व. करोड़ीलाल पटैल
निवासी रजाखेड़ी सागर तह. व जिला सागर
.......आवेदिका

//विरूद्ध//

(1) म.प्र. शासन
द्वारा – तहसीलदार सागर ....अनावेदक
(2) श्रीमती उमा देवी पत्नी स्व. [illegible] सक्सेना नि. [illegible] सागर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 46अ/6/2015–16 आदेश दिनांक 12.04.2016 से परिवेदित होकर निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है:–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदिका के पति स्व. करोड़ीलाल के द्वारा मौजा रजाखेड़ी में खसरा नंबर 156 में से 1 एकड़ भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.02.1992 के जरिये सामलाती क्रय की थी उपरोक्त भूमि आवेदिका के पति एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी सक्शेना का आधा–आधा हक व हिस्सा होने से आधी–आधी भूमि पर मालिक काबिज चले आ रहे है आवेदिका के पति की मृत्यु 16.12.2008 को हो जाने से आवेदिका द्वारा आवेदन नायब तहसीलदार महोदय सागर वृत्त–2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने दिनांक 12.04.2016 को आवेदिका का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि विक्रयपत्र का नामांतरण पूर्व में हो चुका है जिससे इस न्यायालय को पुनः प्रकरण सुनने की अधिकारिता नहीं है। आवेदिका ने हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त की तो संशोधन पंजी क्र. 308 दिनांक 10.04.1993 में उपरोक्त वैनामा के आधार पर तहसीलदार सागर द्वारा आवेदिका के पति के नाम 0.05 एकड़ एवं सहखातेदार श्रीमती उमादेवी के नाम 0.95 एकड़ भूमि अवैद्य तरीके से दर्ज कर दी गई है (आवेदिका एवं सहखातेदार के नाम 0.50 एवं 0.50 एकड़ दर्ज होना थी) जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3458-एक/16 **जिला** - सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त-2 जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 46/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है। 3/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार के आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रचलन योग्य है। उक्त आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा-50 के तहत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अत: प्रकरण आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	